न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, जिला–हरिद्वार।
प्रकीर्ण प्रा०पत्र सं0–19/2026
कम्प्यूटर नं0 1020/2026
श्रीमती दीपिका शर्मा बनाम दोष कुमार शर्मा आदि
धारा–175 (3) बी.एन.एस.एस.
थाना–कनखल, हरिद्वार।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175 (3) बी.एन.एस.एस.

दिनांक– 23.05.2026

पत्रावली आज प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र अतंर्गत **धारा–175(3) बी.एन.एस.एस.** पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता **श्री विकास कुमार** को प्रार्थना पत्र पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी, जो पत्रावली में संलग्न है।

02. प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीया का अपने पति दोष कुमार शर्मा पुत्र मदन लाल शर्मा निवासी–पुल जटवाडा, घुम सिह स्कूल के पास, सीतापुर थाना ज्वालापुर हरिद्वार एवं ससुरालजनों से काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था, जिस कारण विपक्षीगण प्रार्थीया के साथ आय दिन मार पीट, गाली–गलोज व अभद व्यवहार करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीया ने दिनाँक 12.01.2026 को एक मोबाईल फोन Samsung Galaxy A 175g, Model No-6/128 EMI-355299980815913, फाईनेंस पर महा गौरी कोमि. निकेशन एण्ड गिफ्ट 1, सुर्य कॅमप्लेक्स रानीपुर मोड, हरिद्वार से खरीदा था। दिनाँक 28.01.2026 को प्रार्थीया नौकरी के तलाश में बुडडी माता कनखल गयी थी जहा अचानक से समय करीब दोपहर 2 बजे पति विपक्षीगण ने प्रार्थीया को सडक पर घेर लिया तथा प्रार्थीया को माँ बहन की गन्दी गन्दी गालिया देते हुये थपड्ड चाटो, लात घुसो से मारना–पीटना शुरू कर किया तथा विपक्षी परवेज एव गौतम शर्मा ने प्रार्थीया का मोबाईल फोन छीन लिया तथा प्रार्थीया के पर्स में से प्रार्थीया के बन्धन बैंक का चौक बुक, जिस पर शायद कुछ चौकों पर प्रार्थिया के हस्ताक्षर हो रखे थे. आध ाार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, बच्चों के स्कूल के कागजात एवं मु0–2500/– रुपये लूट कर अपने साथ ले गये।

03. प्रार्थीया ने समस्त घटना की सुचना कनखल चौकी में दी तो दिनाक–29.01.26 को समस्थ विपक्षीगणो ने अपने कृत्यों की माफी माँगी तथा दिनाँक 30.01.2026 तक प्रार्थीया का फोन वापस लौटाने का वादा किया परन्तु आज तक नहीं लौटाया एवं अब धमकी दे रहे है कि हम तो लूट कर लायें है, चैक का इस्तेमाल कर हम तेरे पर मुकदमा डालेंगे। फोन तो तुझे मिलने से रहा, तुझसे जो उखडता हो उखाड ले. प्रार्थीया काफी परेशान है। प्रार्थीया ने समस्त घटना की सूचना दिनाँक 05.02.2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार को दी जिस पर कार्यवाही ना होने पर प्रार्थीया ने समस्त घटना की सुचना पुनः दिनाँक 11.03.2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार को, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार को एवं श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना कनखल जिला हरिद्वार महोदय को डाक द्वारा प्रेषित किया पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

04. प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, तथा सूची दस्. तावेज से मोबाईल बिल, थानाध्यक्ष कनखल को भेजा गया प्रार्थना पत्र, एस0एस0पी0 महोदय हरिद्वार को भेजा गया प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत की गयी।

05. प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र पर संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। आख्या के अनुसार आवेदिका व प्रतिवादी दोष कुमार आपस में पति–पत्नी है। दोनो पति–पत्नी का आपस में पारिवारिक विवाद व्याप्त है। दोनो एक–दूसरे पर आये दिन आरोप–प्रत्यारोप लगाते रहते है। दोनो पति–पत्नी एक–दूसरे का किसी अन्य के साथ अवेध सम्बन्ध होने का आरोप लगा रहे है। व दोनो पति–पत्नी एक–दूसरे से अलग अलग निवास करते है। आवेदिका मधु विहार कालोनी जमालपुर में निवास करती है व प्रतिवादी दोष कुमार अपने भाई व अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ सीतापुर ६ लूम सिहं मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निवास करता है। दोनो पति–पत्नी एक–दूसरे पर सन्देह करते है व आरोप लगाये है कि किसी अन्य के साथ प्रेम–प्रसंग है। जिस कारण दोनो में विवाद बना है। पारिवारिक विवाद के चलते दोनो अलग–अलग निवास करते है। आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अपने सेमसंग मोबाइल फोन को लेने का आरोप अपने पति व उसके परिजनो पर लगाया गया है। उक्त सम्बन्ध में प्रतिवादीयों से जानकारी करने पर आवेदिका के पति दोष कुमार द्वारा बताया कि उक्त सेमसंग फोन को मेने फाइनेंस पर खरीद कर अपनी पत्नी को सुविधा हेतु दिया गया था। जिसकी मासिक किस्ते में अदा करता हूँ। परन्तु मेरी पत्नी द्वारा फोन का दुरूप्रयोग कर रात–रात भर अपने प्रेमी से बाते व मेसेज किये जाने लगे। मुझे शक हुआ व मेरे द्वारा एक दिन अपनी पत्नी को रंगेहाथो पकड़ा गया व मेने फोन को अपने कब्जे में ले लिया। उस फोन में मेरी पत्नी कि काली करतूत छीपी है। उसकी अपने प्रेमी के साथ कॉल रिकार्डिंगं/मेसेज व विडियों है। में अपनी पत्नी कि काली–करतूतो को कोर्ट में रखना चाहता हूँ जिस कारण मेने उक्त फोन को साक्ष्य के तौर पर अपने वकील को दे रखा है। जिसको हम कोर्ट में पेस करेगें। मेने अपनी पत्नी के बिरुद्व कोर्ट में वाद दायर किया है, जिस कारण मेने अपनी पत्नी को खरीद कर दिया हुआ फोन अपने कब्जे में वापस ले लिया है। जिससे मेरी पत्नी दीपिका परेशान है। और फोन को वापस लेने के लिये मुझ पर व मेरे परिवार पर अवेध दबाब बना रही है। ताकी उसको फोन मिल जाय व उसमें स्टोर/संरक्षित साक्ष्यो को मिटा सके। उक्त के अलावा आवेदिका द्वारा उक्त प्रकरण का घटना स्थल बुड्डी माता पर होना बताया गया है। दिनांक/समय घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन करने व आस–पास के व्यक्तियों से जानकारी करने पर उक्त तीथि को किसी भी प्रकार कि कोई घटना घटीत होना प्रकाश में नहीं आया है। जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये है कि आवेदिका जिस सेमसंग फोन को लेने कि बात कर रही है। उस फोन को दोष कुमार द्वारा मधु विहार कालोनी जमालुपर से अपने कब्जे में लिया है। और उस समय दोनो साथ निवास करते थे। आवेदिका घटना को तौड–मरोड कर पेस कर रही है। वास्तविक घटना को छीपा रही है। वर्तमान में उक्त फोन दोष कुमार के वकील के पास है। आवेदिका व उसके पति का पारिवारिक विवाद है आवेदिका के पति दोष कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी पत्नी के विरुद्ध वाद दायर करना बताया जा रहा है।

उक्त विवाद पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित है। आवेदिका अपने पति से उक्त सेमसंग गैलेक्सी फोन को किसी भी प्रकार से वापस लेना चाहती है, जिस कारण आवेदिका मिध्या आरोप गढ़ कर क्षति कारित करने के आशय से अपने पति व उसके पारिवारिक सदस्यों पर आरोप लगा रही है। प्रकरण मात्र इतना है कि उसके पति द्वारा उसको अपने किसी प्रेमी से फोन पर अमर्यादित बाते करते हुये पकडा गया। उक्त मोबाईल फोन में आवेदिका कि अमर्यादित रिकार्डिंग/विडियों एवं मेसेज होना उसके पति द्वारा बताया जा रहा है। जिसको वह आवेदिका के विरुद्व माननीय न्यायालय में पेश करने कि बाते कह रहा है। जिससे आवेदिका परेशान है व मिथ्या आरोप गढ रही है। आरोपो कि पुष्टी हेतु कोई पोषणीय साक्ष्य/प्रमाण आवेदिका द्वारा मुझ जाँच अधिकारी को नही दिये गये है। उक्त सम्बन्ध में वर्तमान में कोई भी मुकदमा थाना हाजा पर पंजीकृत नही है।

06. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

07. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। **धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 निम्नलिखित प्रावधान करती है।**

(1) कोई पुलिस थाने का.....

(2) ऐसे किसी मामले में.....

(3) धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन किए गए शपथ–पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् तथा इस सम्बन्ध में किए गए निवेदन पर, ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार ऐसे अन्वेषण का आदेश दे सकता है।

08. **<u>उपरोक्त धारा के अवलोकन से दर्शित है कि धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत विवेचना का आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र पर जॉच की जा सकती है एवं पुलिस अधिकारी के कथनों को विचार में लिया जा सकता है।</u>**

09. प्रार्थिया द्वारा विपक्षीगण पर आपने प्रार्थना पत्र में इस आशय के अभियोग लगाये गये है कि विपक्षीगण प्रार्थीया के साथ आय दिन मारपीट, गाली–गलौच व अभद्र व्यवहार करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीया ने दिनाँक 12.01.2026 को एक मोबाईल फोन Samsung Galaxy A 175g, Model No-6/128 EMI-355299980815913, फाईनेंस पर महागौरी कोमि. निकेशन एण्ड गिफ्ट 1 से खरीदा था। दिनाँक 28.01.2026 को प्रार्थीया को बुडडी माता मन्दिर के पास पति विपक्षीगण ने प्रार्थीया को सडक पर घेर लिया तथा प्रार्थीया को गाली गलौच देते हुये मारना–पीटना शुरू कर किया तथा विपक्षी सं0 1 व 2 ने प्रार्थीया का मोबाईल फोन छीन लिया तथा प्रार्थीया के पर्स में से प्रार्थीया के बन्धन बैंक का चैक बुक, जिस पर शायद कुछ चैकों पर प्रार्थिया के हस्ताक्षर हो रखे थे आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, बच्चों के स्कूल के कागजात एवं मु0–2500/– रुपये लूट कर अपने साथ ले गये।

10. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहुत की गयी। आख्या के अनुसार जॉच अधिकारी द्वारा कथन किये गये कि आवेदिका द्वारा उक्त प्रकरण का घटना स्थल

बुड्डी माता पर होना बताया गया है। दिनांक/समय घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन करने व आस–पास के व्यक्तियों से जानकारी करने पर उक्त तिथि को किसी भी प्रकार कि कोई घटना घटित होना प्रकाश में नहीं आया है।

11. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र से प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध कारित होना दर्शित नहीं होता है।

12. माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा **Sachin Chamoli Vs. State of Uttarakhand & another 2016 (2) U.D. 72** की विधि व्यवस्था में अवधारित किया गया है कि *In view of the word, "may" used in Section 156(3) Cr.P.C., the learned Magistrate, may or may not give a direction to the police to do the investigation- It is purely the discretion of the learned Magistrate as to give directions u/s 156(3) Cr.P.C. or not and he may decline it or even direct the police for investigation u/s 202(1) Cr.P.C. 1973.*

13. अतः प्रार्थना–पत्र के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में इस स्तर पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अन्वेषण कराया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत **धारा–175 (3) बी.एन.एस.एस.** निरस्त किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित आदेश से निस्तारित किया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

प्रार्थिया दीपिका शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत **धारा–175 (3) बी.एन.एस.एस.** निरस्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

(शैलेन्द्र कुमार यादव)
न्यायिक मजिस्टेट,द्वितीय
जिला–हरिद्वार।